7 .8% जीडीपी वृद्धि पर छिड़ी बड़ी बहस

सरकार ने आर्थिक वृद्धि के आंकड़े का किया बचाव, पुरानी और नई जीडीपी श्रृंखला की तुलना पर उठाए सवाल

नवभारत न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली ,03 सितंबर चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में दर्ज 7.8 प्रतिशत जीडीपी वृद्धि दर को लेकर आर्थिक जगत में बहस तेज हो गई है. सरकार ने उन दावों को खारिज कर दिया है, जिनमें नई जीडीपी श्रृंखला के आधार पर जारी वृद्धि दर पर सवाल उठाते हुए इसे करीब 2.6 प्रतिशत बताया गया है.

सरकार का कहना है कि मौजूदा जीडीपी अनुमान की तुलना पुरानी और अब बदली जा चुकी श्रृंखला के आंकड़ों से करना सही नहीं है. यह तुलना 'सेब और संतरे' की तरह है, क्योंकि दोनों के आधार और गणना पद्धति अलग हैं.सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग ने पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग की टिप्पणी के बाद सरकार का पक्ष स्पष्ट किया. पूर्व वित्त सचिव का तर्क था कि यदि पिछले साल की जून तिमाही के सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़े को करीब 86 लाख करोड़ रुपए से घटाकर 80 लाख करोड़ रुपए नहीं किया जाता, तो मौजूदा कीमतों पर पहली तिमाही की वृद्धि दर करीब 2.6 प्रतिशत ही रहती.सांख्यिकी सचिव ने इस तर्क को सही नहीं माना. उन्होंने कहा कि इसमें स्थिर कीमतों के बजाय मौजूदा कीमतों के आंकड़ों की तुलना की गई है.

इसके अलावा 86.05 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा 2011-12 आधार वर्ष वाली पुरानी जीडीपी श्रृंखला से जुड़ा था, जबकि वर्तमान अनुमान 2022-23 आधार वर्ष वाली नई श्रृंखला के तहत तैयार किया गया है.

> सौरभ गर्ग के मुताबिक, स्टील, सीमेंट और वाहन जैसे प्रमुख क्षेत्रों में उत्पादन में मजबूत वृद्धि दर्ज हुई है. ऐसे में सरकार का कहना है कि पहली तिमाही में दर्ज 7 .8 प्रतिशत की वृद्धि अर्थव्यवस्था में जारी ठोस उत्पादन गतिविधियों को दर्शाती है. सरकार ने पुरानी और नई जीडीपी श्रृंखला के आंकड़ों को आपस में मिलाकर वृद्धि दर पर सवाल उठाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है.

महानदी कोलफील्डस का आईपीओ

नवभारत न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली, 03 सितंबर महानदी कोलफील्डस लिमिटेड ने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम के लिए बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के पास शुरुआती दस्तावेज दाखिल किए हैं. प्रस्तावित आईपीओ के तहत उसकी प्रवर्तक कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड अपनी 10 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेगी दस्तावेजों के मौदा के अनुसार आईपीओ पूरी तरह बिक्री पेशकश के रूप में होगा. इसके तहत कोल इंडिया एमसीएल के 66,18,36,300 शेयर बेचेगी. इसमें कोई नया शेयर जारी नहीं किया जाएगा डीआरएचपी 31 अगस्त को दखल किया गया निर्णम में केवल ओएफएस शामिल होने के कारण ओडिशा स्थित एमसीएल को आईपीओ से कोई राशि नहीं मिलेगी.

स्क्रैपिंग बढ़ाएं, वाहन बिक्री बढ़ेगी : गडकरी

- देश में हर साल एक लाख से ज्यादा बसों की मांग
- इलेक्ट्रिक बसों के साथ ड्राइवर प्रशिक्षण बढ़ाने पर जोर

नवभारत न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली,03 सितंबर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वाहन निर्माता कंपनियों से पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन राशि बढ़ाने की अपील की है. उन्होंने कहा कि इससे कंपनियों की बिक्री बढ़ने के साथ उत्पादन क्षमता का बेहतर इस्तेमाल होगा और लागत भी कम होगी.

भारतीय वाहन निर्माता कंपनियों के संगठन सियाम के 66वें वार्षिक सम्मेलन में गडकरी ने कहा कि स्क्रैपिंग का फायदा सीधे वाहन उद्योग को मिलेगा. उन्होंने कंपनियों से इस दिशा में और निवेश करने की अपील की.

गडकरी ने देश में किफायती सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था विकसित करने पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा कि मेट्रो के निर्माण की लागत करीब 350 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर तक पहुंचती है. बड़े शहरों में यह मॉडल व्यावहारिक हो सकता है, लेकिन छोटे शहरों के लिए कम लागत वाले परिवहन विकल्प तलाशने होंगे. पर्वतीय क्षेत्रों में रोपवे को उन्होंने एक उपयोगी विकल्प बताया.

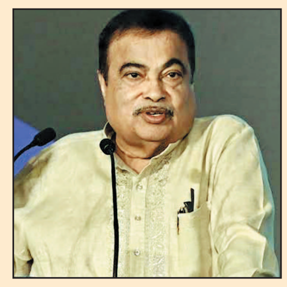

> मंत्री नितिन गडकरी ने देश में बसों की मांग और मौजूदा उत्पादन क्षमता के बीच अंतर का भी मुद्दा उठाया. उनके मुताबिक देश में हर साल एक लाख से अधिक बसों की जरूरत है, जबकि वर्तमान विनिर्माण क्षमता करीब 70 हजार बसों की है. उन्होंने कंपनियों से विशेष रूप से इलेक्ट्रिक बसों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने का आग्रह किया. इसके अलावा गडकरी ने वाहन कंपनियों से ड्राइवर प्रशिक्षण में भी योगदान देने की अपील की. उन्होंने कहा कि कंपनियां अपने कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) फंड का इस्तेमाल ड्राइवरों के प्रशिक्षण के लिए कर सकती हैं. इससे सड़क दुर्घटनाओं को कम करने में मदद मिलेगी.

महंगे अंडों ने घटाई खरीदारी मिलावट की चिंता भी बढ़ी

नवभारत न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली,03 सितंबर देश में अंडों की बढ़ती कीमतों का असर अब लोगों की खरीदारी पर दिखाई देने लगा है. एक सर्वे के मुताबिक, अंडे खरीदने वाले 48 प्रतिशत परिवारों ने कीमत बढ़ने के बाद या तो खरीद की मात्रा कम कर दी या अंडे खरीदने की आवृत्ति घटा दी. वहीं 10 प्रतिशत परिवारों ने सस्ते विकल्पों या दूसरे स्रोतों से अंडे खरीदना शुरू कर दिया.

हालांकि, 37 प्रतिशत परिवार ऐसे भी रहे, जिन्होंने कीमत बढ़ने के बावजूद पहले की तरह अंडे खरीदना जारी रखा.सर्वे में अंडों की कीमतों को लेकर भी बड़ी तस्वीर सामने आई है. 84 प्रतिशत परिवारों ने पिछले छह महीनों के दौरान अंडों की कीमत में किसी न किसी स्तर पर बढ़ोतरी महसूस की. इनमें 31 प्रतिशत परिवारों ने कीमत में 10 से 25 प्रतिशत और इतने ही परिवारों ने 25 से 50 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की बात कही. वहीं 22 प्रतिशत लोगों ने कीमतों में 10 प्रतिशत तक वृद्धि महसूस की.

फीड की बढ़ती लागत बनी बड़ी वजह अंडों की कीमत बढ़ने के पीछे पोल्ट्री फीड की लागत को प्रमुख कारण बताया जा रहा है.

आरबीआई बोर्ड में सैयद अकबरुद्दीन नियुक्त

नवभारत न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली,03 सितंबर पूर्व राजनयिक और संयुक्त राष्ट्र में भारत के पूर्व स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन को भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में चार वर्ष के लिए अंशकालिक, गैर-आधिकारिक निदेशक नियुक्त किया गया है.

नियुक्ति संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है. अकबरुद्दीन के साथ वित्त मंत्रालय की पूर्व विशेष सचिव एनी जॉर्ज मैथ्यू और बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप इंडिया के चेयरमैन जनमेजय कुमार सिन्हा को भी बोर्ड में शामिल किया गया है. 1985 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी अकबरुद्दीन को अंतरराष्ट्रीय मामलों, कूटनीति और शासन का तीन दशक से अधिक का अनुभव है.

वीआईटी चेन्नई में तकनीकी महोत्सव शुरू

नवभारत कनेक्ट

चेन्नई, 3 सितंबर वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (वीआईटी) चेन्नई के विद्यार्थियों के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय तकनीकी महोत्सव 'टेक्नोवीआईटी'26' का गुरुवार, 3 सितंबर को शुभारंभ हुआ।

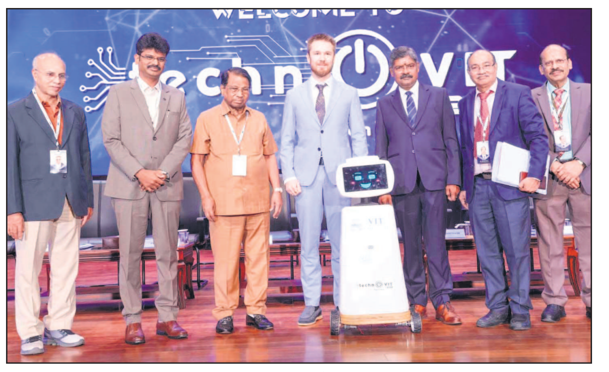

दो दिवसीय यह महोत्सव 3 और 4 सितंबर को आयोजित किया जा रहा है। उद्घाटन समारोह में चेन्नई स्थित रूसी संघ के महावाणिज्य दूतावास के उप महावाणिज्यदूत अलेक्जेंडर फोमिन मुख्य अतिथि रहे, जबकि डेमलर इंडिया कमर्शियल व्हीकल्स के उपाध्यक्ष-संचालन एवं लॉजिस्टिक्स अरुलसेल्वम हरिकृष्णन विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के संस्थापक एवं कुलाधिपति डॉ. जी. विश्वनाथन ने समारोह की अध्यक्षता की। वीआईटी के उपाध्यक्ष डॉ. जी.वी. सेल्वम ने विशेष संबोधन दिया। इस वर्ष 'टेक्नोवीआईटी'26' की थीम 'समावेशी नवाचार' रखी गई है। महोत्सव में 140 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें भारत के अलावा 14 देशों से प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं। उज्बेकिस्तान, फिलीपींस, सिंगापुर, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, जापान, फ्रांस, नॉर्वे, रूस, ऑस्ट्रेलिया, तंजानिया, संयुक्त अरब अमीरात और उत्तरी अमेरिका से प्रतिभागी महोत्सव में हिस्सा ले रहे हैं। कुल मिलाकर 15 हजार से अधिक प्रतिभागियों के शामिल होने की जानकारी दी गई है।

गोयल जाएंगे अमेरिका, व्यापार वार्ता को मिलेगी रफ्तार

- जी20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में लेंगे हिस्सा
- द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत में प्रगति का दावा

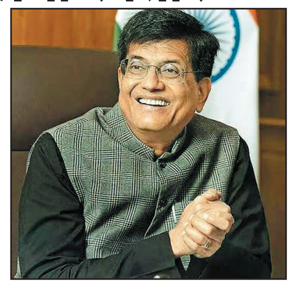

नवभारत न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली 03, सितंबर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल इस महीने के अंत में अमेरिका की यात्रा पर जाएंगे. इस दौरान वह वॉशिंगटन में होने वाली जी20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के साथ भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर चल रही बातचीत पर भी चर्चा करेंगे.

भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने बुधवार को यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि दोनों देश अपने व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए लगातार मिलकर काम कर रहे हैं और बातचीत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है.ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एसीएमए) के 66वें वार्षिक सत्र को संबोधित करते हुए गोर ने कहा कि आने वाले हफ्तों में वॉशिंगटन में जी20 से जुड़ी बैठकों की मेजबानी के दौरान अमेरिका, गोयल की अगवानी करेगा. उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका ऐसे व्यापारिक संबंध विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जो निष्पक्ष, पारस्परिक और दोनों देशों के लिए लाभकारी हों.

गोयल की प्रस्तावित यात्रा ऐसे समय हो रही है जब दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में बातचीत आगे बढ़ा रहे हैं. अमेरिकी राजदूत ने भारत-अमेरिका संबंधों को मजबूत बताते हुए कहा कि दोनों सरकारें कई स्तरों पर करीब से काम कर रही हैं. उन्होंने कहा कि व्यापार के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच काफी गतिविधियां चल रही हैं और वॉशिंगटन जी20 बैठकों के लिए गोयल की मेजबानी को लेकर उत्सुक है.गोर ने दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधी समझ और अब तक हुई प्रगति का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि भारत-अमेरिका सहयोग केवल वस्तुओं के व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि दोनों देश कई दूसरे क्षेत्रों में भी साझेदारी को आगे बढ़ा रहे हैं. अमेरिकी राजदूत ने व्यापक आर्थिक सहयोग का जिक्र करते हुए इस साल की शुरुआत में हस्ताक्षरित पैक्ट सिलिका घोषणा का भी उल्लेख किया.

> गोयल ने दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधी समझ और अब तक हुई प्रगति का भी उल्लेख किया. भारत-अमेरिका सहयोग केवल वस्तुओं के व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि दोनों देश कई दूसरे क्षेत्रों में भी साझेदारी को आगे बढ़ा रहे हैं.अमेरिकी राजदूत ने व्यापक आर्थिक सहयोग का जिक्र करते हुए इस साल की शुरुआत में हस्ताक्षरित पैक्ट सिलिका घोषणा का भी उल्लेख किया. उनके अनुसार, इसका उद्देश्य ऐसा नियामकीय ढांचा तैयार करना है, जो नवाचार को बढ़ावा दे और अमेरिकी तथा भारतीय कंपनियों के बीच सीमा-पार निवेश को प्रोत्साहित करे.

एसयूएम नर्सिंग कॉलेज में पोषण जागरुकता

नवभारत कनेक्ट

भुवनेश्वर, 3 सितंबर. भुवनेश्वर के बाहरी क्षेत्र स्थित दारुथेंगा गांव में गुरुवार को एसयूएम नर्सिंग कॉलेज (एसएनसी) की ओर से पोषण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का उद्देश्य पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में उचित पोषण, स्वस्थ खान-पान की आदतों, शारीरिक विकास और कुपोषण की रोकथाम के प्रति जागरूकता बढ़ाना था।

एसओए डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी के नर्सिंग संकाय एसएनसी के सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में स्थानीय महिलाओं, बच्चों, आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी ने भाग लिया। एसएनसी के प्रथम वर्ष के एमएससी नर्सिंग विद्यार्थियों ने शिक्षकों के मार्गदर्शन में पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों के पोषण संबंधी आकलन के निष्कर्ष प्रस्तुत किए। उन्होंने बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए संतुलित आहार के महत्व पर प्रकाश डाला।

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने लॉन्च किया

नवभारत कनेक्ट

उदयपुर , 03 कंपनी ने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ बीएसई 500 मोमेंटम वैल्यू 50 इंडेक्स फंड लॉन्च किया है. यह 'वैल्यू और मोमेंटम' (मूल्य और रुझान) पर आधारित निवेश विकल्प है, जो ग्राहकों को चुनिंदा यूनिट-लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान (यूलिप) के ज़रिए दीर्घकालिक स्तर पर इक्विटी में निवेश के अवसर का लाभ उठाने का अवसर प्रदान करता है.

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के मुख्य निवेश अधिकारी, श्री मनीष कुमार ने लॉन्च पर अपनी टिप्पणी में कहा, 'बीएसई 500 मोमेंटम वैल्यू 50 इंडेक्स फंड को ग्राहकों को एक अनुशासित और पारदर्शी निवेश रणनीति प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है, जो निवेश के दो महत्वपूर्ण कारकों- वैल्यू और मोमेंटम को जोड़ता है. ऐसे में, जहाँ आकर्षक मूल्यांकन से बेहतर मूल्य पर खरीद का भरोसा मिल सकता है, वहीं सकारात्मक रुझान से बाज़ार का बढ़ता भरोसा ज़ाहिर हो सकता है. यह रणनीति इन दो तत्वों को मिलाकर उन कंपनियों की पहचान कर पाती है, जो दोनों पैमानों पर मज़बूत दिखती हैं. इससे निवेशकों को मूल्यांकन को ध्यान में रखते हुए उभरते अवसरों में भाग लेने में मदद मिलती है.' उन्होंने कहा, 'इस रणनीति के तहत व्यवस्थित दृष्टिकोण का पालन किया जाता है और तिमाही स्तर पर पोर्टफोलियो की समीक्षा की जाती है, जिससे यह बदलते बाज़ार मूल्यांकन और रुझान के साथ विकसित हो पाता है. हमारा मानना ??है कि इस दृष्टिकोण से ग्राहकों को निवेश अनुशासन बनाए रखते हुए दीर्घकालिक इक्विटी वृद्धि में भाग लेने का अलग तरीका मिल सकता है.' यह फंड ग्राहकों को बीएसई 500 खंड से चुनी गई 50 कंपनियों के विविधीकृत दायरे में निवेश का अवसर प्रदान करता है और आईसीआईसीआई प्रू बीएसई 500 मोमेंटम वैल्यू 50 कस्टमाइज़्ड इंडेक्स का अनुसरण करेगा.

ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE Ke Saath Zimmedari Lagey Pyaari — Trusted by over 20 crore Indians in 25 YEARS

म.प्र. पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम

कार्यालय परियोजना यंत्री, इंदौर संभाग क्रमांक-02

जी-13, प्रथम 'तल' एम.आई.जी. कॉलोनी, एम.आई.जी. थाने के पीछे, इंदौर (म.प्र.), मो. नं.- 9425601512

E-mail Id :- mpphidclindore2@gmail.com

निविदा आमंत्रण सूचना - 11/2026-27

म.प्र.पु.आ.एवं अधो.वि.नि., इंदौर संभाग क्र.- 02, इंदौर द्वारा क्रमशः पुलिस लाइन खंडवा में 4 Go's, 24 NGO एवं 96 OR, पातुंडा पुलिस लाइन बुरहानपुर में 16 आरक्षक एवं पुलिस लाइन चूनाभट्टी, बड़वानी में 4 Go's आवास गृहों के निर्माण कार्यों हेतु निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र **दिनांक 22.09.2026 तक** खरीदे जा सकते हैं, जिसकी विस्तृत निविदा सूचना एवं अन्य विवरण **https://mptenders.gov.in** पर देखे जा सकते हैं।

म.प्र. माध्यम/127849/2026 **परियोजना यंत्री**

समाचार विशेष

त्रिकोणीय हो सकती है आदिवासी राजनीति

जमशेदपुर, 3 सितंबर. झारखंड में परिसीमन के मुद्दे पर आदिवासी समुदाय का हालिया बड़ा जुटान सिर्फ परिसीमन की आशंकाओं तक सीमित राजनीतिक घटनाक्रम नहीं माना जा रहा है. रांची के मोरहाबादी मैदान में कांग्रेस के कद्दावर नेता बंधु तिर्की की अगुवाई में जुटी भारी भीड़ ने राज्य के सियासी गलियारों में एक नया और दूरगामी संदेश दिया है.

इस घटनाक्रम के बाद सवाल उठने लगा है कि क्या कांग्रेस अब झारखंड में आदिवासी राजनीति के उस बड़े हिस्से पर अपनी दावेदारी मजबूत करने की तैयारी कर रही है, जिसे लंबे समय से झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) अपनी सबसे मजबूत राजनीतिक जमीन मानता रहा है? झारखंड में सत्ता की राजनीति का सबसे बड़ा आधार आदिवासी मतदाता हैं.

राज्य की 81 सदस्यीय विधानसभा में 28 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित हैं. ऐसे में आदिवासी हितों और अस्तित्व से जुड़े किसी भी बड़े मुद्दे पर राजनीतिक नेतृत्व और जनसमर्थन का ऐसा प्रदर्शन आने वाले चुनावी समीकरणों की दिशा तय करता है. परिसीमन को लेकर आदिवासी समुदाय के भीतर यह गहरी आशंका है कि जनसंख्या के बदलते स्वरूप और डेमोग्राफिक बदलावों का सीधा असर भविष्य में उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर पड़ सकता है. यही आशंका अब राज्य के मुख्य राजनीतिक विमर्श का केंद्र बन रही है.

बंधु तिर्की द्वारा आयोजित मोरहाबादी का जुटान इसी बहस को एक व्यापक राजनीतिक मंच देने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है. हालांकि, इस जुटान के साथ सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न यह खड़ा हुआ है कि क्या कांग्रेस की यह सक्रियता केवल इस तात्कालिक मुद्दे तक ही सीमित रहेगी, या फिर पार्टी आने वाले वर्षों में राज्य के भीतर आदिवासी नेतृत्व और वोट बैंक पर अपनी स्वतंत्र व मजबूत दावेदारी पेश करेगी?

भाजपा की सतर्क नजरें

मोरहाबादी का यह शक्ति प्रदर्शन मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के लिए भी बड़ा संकेत है. आदिवासी राजनीति के दृष्टिकोण से देखें तो फिलहाल भाजपा के पास इस क्षेत्र में खोने के लिए कम और पाने के लिए काफी कुछ है, क्योंकि 28 सुरक्षित एसटी सीटों में से उसके पास वर्तमान में बेहद सीमित प्रतिनिधित्व है. भाजपा लगातार डेमोग्राफिक बदलाव, मतांतरण, बांग्लादेशी घुसपैठ और कथित लव-लैंड जिहाद जैसे संवेदनशील मुद्दों के जरिए आदिवासी समाज में अपनी पैठ बनाने की कोशिश में जुटी है. हालांकि, पिछले विधानसभा चुनाव में इन मुद्दों पर भाजपा को अपेक्षित सफलता हासिल नहीं हो सकी थी, इसलिए वह भी इस बदले राजनीतिक घटनाक्रम पर सतर्कता से नजर रखे हुए है. मोरहाबादी मैदान का यह जनसैलाब स्पष्ट संकेत देता है कि आने वाले वर्षों में झारखंड की आदिवासी राजनीति केवल %भाजपा बनाम झामुमो% के पारंपरिक संघर्ष तक सीमित नहीं रहेगी. यदि कांग्रेस अपनी एक अलग और आक्रामक राजनीतिक पहचान के साथ आदिवासी मतदाताओं के बीच विस्तार की रणनीति पर आगे बढ़ती है, तो राज्य में चुनावी मुकाबला त्रिकोणीय रूप ले सकता है. फिलहाल परिसीमन का मुद्दा इस पूरी रस्साकशी का मुख्य मंच बना हुआ है, लेकिन इसमें जुटी भीड़ ने साफ कर दिया है कि भविष्य के सियासी वर्चस्व की लड़ाई की पटकथा अभी से लिखी जाने लगी है.

झामुमो के एकाधिकार को चुनौती

कांग्रेस लंबे समय से राज्य में झामुमो की मुख्य सहयोगी रही है और मौजूदा हेमंत सोरेन सरकार में भी दोनों दल बराबर के साझेदार हैं. लेकिन गठबंधन की राजनीति का व्यावहारिक सच यह है कि इसमें सहयोग और चुनावी प्रतिस्पर्धा साथ-साथ चलते हैं. झामुमो की पूरी राजनीति का केंद्रीय आधार आदिवासी अस्मिता, जल-जंगल-जमीन और अलग झारखंड आंदोलन की ऐतिहासिक विरासत रही है. हेमंत सोरेन ने इस आधार को और अधिक धार दी है. ऐसे में यदि कांग्रेस आदिवासी बहुल क्षेत्रों में अपना कैडर, संगठन और नेतृत्व आक्रामक तरीके से बढ़ाती है, तो 2029 के विधानसभा चुनाव की बिसात बिछते ही सीटों के बंटवारे से लेकर गठबंधन के नेतृत्व तक कई तीखे सवाल उठना स्वाभाविक है.

मुथूट फिनकॉर्प लिमिटेड (सुरक्षित और असुरक्षित ऋण व्यवसाय प्रभाग)

muthoot FINCORP Jab zindagi badalni ho

(मुथूट पप्पाचन समूह की कंपनी) CIN : U65929KL1997PLCO11518

प्रशासनिक कार्यालय : 710-ए एवं 711-ए, सातवीं मंजिल, फेस-2, स्पेंसर प्लाजा, माउंट रोड़, अन्ना सलाई, चेन्नई-600 002

पंजीकृत कार्यालय : मुथूट सेन्टर, टीसी नं. 27/3022, पुन्नेन रोड़, त्रिवेन्द्रम, केरला - 695 001

परिशिष्ट–IV [नियम 8(1)] आधिपत्य सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने **मुथुट फिनकार्प लिमिटेड (एमएफएल)** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 की अधिनियम संख्या 54) के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, निम्न वर्णित उधारकर्ता(ओं)/गारंटर(ओं) को एक मांग सूचना निर्गत की थी। उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों की समाप्ति के उपरांत, उधारकर्ता(ओं)/गारंटर(ओं) राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा उधारकर्ता(ओं)/गारंटर(ओं) को तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न वर्णित सम्पत्ति का, उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त भाक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, निम्नानुसार **भौतिक आधिपत्य** कर लिया है।

उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता/गारंटर का नाम	मांग सूचना की दिनांक	कुल बकाया राशि (रू.) भावी ब्याज लागू	प्रतिभूत परिसंपत्ति(यों)/अचल संपत्ति(यों) का विवरण	आधिपत्य की तिथि
ऋण खाता नं. MFLMPDSECUL000005030762 नंद किशोर (ऋणी) **बाबूलाल कुमावत, पदम बाई कुमावत** (सह-ऋणी)	22-01-2026	₹ 22,51,317.84/- (रुपए बाईस लाख इक्कावन हजार तीन सौ सत्रह एवं चौरासी पैसे मात्र)	संपत्ति का शेष एवं सम्पूर्ण भाग, संपत्ति वार्ड नं. 05, भवन पंजीयन नं. 385/1, सत्यनारायण मंदिर गली, ग्राम नामली, तहसील व जिला रतलाम (म.प्र.) 457222 एवं **चर्तुसीमाएँ:** उत्तरः रामचंद्र का मकान, दक्षिणः गोपाल का मकान, पूर्वः मुन्ना लाल जी का मकान, पश्चिमः रोड	01.09.2026

उधारकर्ता(ओं)/गारंटर(ओं) को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन–देन न करें तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन–देन, ऊपर अंकित मांगी गई एक राशि तथा इस राशि पर भावी ब्याज हेतु **मुथुट फिनकार्प लिमिटेड** के प्रभाराधीन होगा।

ह/– प्राधिकृत अधिकारी

स्थान : मध्य प्रदेश, दिनांक : 04.09.2026 **वास्ते मुथुट फिनकार्प लिमिटेड**

YES BANK यस बैंक लिमिटेड

शाखा पता : यस बैंक लिमिटेड, 9-1-1, एमजी रोड़, ट्रेजर आयलेंड के पास, इन्दौर म.प्र. 452001.

आधिपत्य सूचना [नियम - 8(1) अचल संपत्ति हेतु]

यस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त अधिकारों के अनुसरण में, नीचे विस्तार में वर्णित ऋणी को मांग सूचना पत्र जारी किया था जिसके तहत उक्त 13(2) धारा के अंतर्गत सूचना के प्राप्त होने की तिथि से **60 दिनों** के अंदर सूचना में वर्णित राशि का भुगतान करने के लिए कहा गया था।

ऋणी द्वारा संपूर्ण धनराशि न चुकाए जाने पर, एतद्द्वारा ऋणी को एवं सामान्य रूप से जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त नियमों के नियम 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अधीन उन्हें दिए गए अधिकारों के अनुसरण में यहाँ वर्णित संपत्ति का **सांकेतिक कब्जा** ले लिया है। ऋणी/सिक्योरिटी एवं आम जनता को इसके द्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे नीचे बताई गई प्रॉपर्टी के साथ कोई लेन–देन न करें और उक्त प्रॉपर्टी के साथ कोई भी लेन–देन बैंक के नीचे बताई गई रकम के चार्ज के अधीन होगा, साथ ही इसमें सभी अन्य बकाया रकम, जिसमें लागत, शुल्क, खर्च और उस पर लगने वाला ब्याज भी शामिल है। विशेष रूप से ऋणी एवं सामान्य रूप से जनसाधारण को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि संपत्ति के साथ किसी प्रकार का सौदा न करें एवं संपत्ति के साथ किसी प्रकार का सौदा यहाँ वर्णित राशि का उस पर अनुबंधित दर से ब्याज एवं लागत के भुगतान के साथ **यस बैंक लिमिटेड** को चुकाए जाने के अधीन किया जाएगा।

क्रं.	लोन नंबर	ऋणी/सह–ऋणी एवं बंधककर्ता का नाम/	बकाया राशि 13(2) नोटिस अनुसार	13 (2) सूचना दि. / कब्जे की दिनांक
1	SARFAESI_/MIB/12943538	**मेसर्स सूर्यांश सेल्स** (ऋणी), **संजय सिंह पिता श्री कैलाश सिंह एवं राजौदा पेट्रोलियम किसान सेवा केन्द्र** (सह-ऋणी), **सीमा चौहान** (जमानतदार)	**Rs. 2,11,19,752.26/-** (रु. दो करोड़ ग्यारह लाख उन्नीस हजार सात सौ बावन एवं छब्बीस पैसे मात्र) दिनांक 06/06/2026 तक	07.06.2026 / 31.08.2026

बंधक संपत्ति का विवरण: सर्वे नं. 414/2 की भूमि का परिवर्तित भाग, क्षेत्रफल 0.348 हेक्टेयर, ग्राम जैतपुरा तहसील एवं जिला देवास, मध्यप्रदेश, **चर्तु:सीमा:**– पूर्वः श्री गौरव जैन का प्लॉट, पश्चिमः श्री हजारीलाल चौहान की कृषि भूमि, उत्तरः रोड, दक्षिणः श्री अंशुर की कृषि भूमि

हस्ते/–

स्थान : इन्दौर **प्राधिकृत अधिकारी**

दिनांक : 04.09.2026 **यस बैंक लिमिटेड**

ADITYA BIRLA CAPITAL — LOANS INVESTMENTS INSURANCE PAYMENTS

आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः इंडियन रेयॉन कंपाउंड, वेरावल, गुजरात-362266 | शाखा का पताः प्लॉट नंबर-17, विजया बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, बाराखंबा रोड, नई दिल्ली-110001

परिशिष्ट IV [सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (1) देखें] प्रतीकात्मक कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए)

आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड और आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड के बीच दिनांक 11.03.2024 की विलय योजना के अनुसार हुए विलय के कारण, जिसे राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (NCLT), अहमदाबाद द्वारा दिनांक 24.03.2025 को पारित आदेश में विधिवत अभिलिखित किया गया है, नीचे उल्लिखित ऋण खाते एवं बंधक रखी गई संपत्ति के संबंध में आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड द्वारा या उसके विरुद्ध प्रारंभ की गई/प्रारंभ की जाने वाली सभी गतिविधियाँ/अनुबंध/दायित्व/कानूनी कार्यवाहियाँ/पत्राचार/संचार/सरफेसी कार्यवाहियाँ अब विलयित कंपनी आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड को हस्तांतरित हो गई हैं।

चूंकि, अधोहस्ताक्षरी, आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के अंतर्गत तथा उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के साथ पठित सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 11.06.2026 को एक मांग सूचना जारी की थी, जिसके द्वारा उधारकताओं, अर्थात मेसर्स मामा सेठ एंड कंपनी, अपने प्रोपराइटर श्री सुनील कुमार हेमनानी के माध्यम से; श्री सुनील हेमनानी; श्रीमती मुस्कान हेमनानी, को उक्त सूचना की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर ऋण खाता संख्या ABW_RLAP00000988634 के संबंध में मांग की गई राशि रु. 5,89,25,426.94/- (पाँच करोड़ नवासी लाख पच्चीस हजार चार सौ छब्बीस और पैसे चौरानवे मात्र) का भुगतान करने के लिए कहा गया था।

उधारकताओं द्वारा उक्त राशि का भुगतान करने में असफल रहने के कारण, उधारकताओं तथा आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के साथ पठित सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आज दिनांक 03 सितंबर 2026 को नीचे वर्णित संपत्ति का सांकेतिक कब्जा ले लिया है।

उधारकताओं तथा विशेष रूप से आम जनता को एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि वे उक्त संपत्ति के संबंध में किसी भी प्रकार का लेन-देन न करें। संपत्ति के संबंध में किया गया कोई भी लेन-देन आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड के पक्ष में उक्त संपत्ति पर विद्यमान प्रभार के अधीन होगा, जिसकी राशि रु. 5,89,25,426.94/- (पाँच करोड़ नवासी लाख पच्चीस हजार चार सौ छब्बीस और पैसे चौरानवे मात्र) तथा उस पर देय ब्याज है।

उधारकताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जो प्रतिभूत परिसंपत्ति को ऋणमुक्त/पुनः प्राप्त करने के लिए उपलब्ध समयावधि के संबंध में हैं।

अचल संपत्ति का विवरण

उस प्रॉपर्टी का पूरा हिस्साः हाउस म्युनिसिपल नंबर 47, वार्ड नंबर 49, मोहल्ला सुभाष मार्ग, रतलाम, मध्य प्रदेश - 457001, जिसका एरिया 1490.25 वर्ग फुट है और जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: - पूर्वः दूसरों का घर, उत्तरः मुंदराजी का घर, पश्चिमः सड़क, दक्षिणः सेठियाजी का घर।

दिनांकः 03.09.2026 **अधिकृत अधिकारी**

स्थानः रतलाम **आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड**